अपील सूचना अधिकार संख्या 10/2021 (GCMS 2021/21) श्री लूणाराम जाखड़ पुत्र चेतराम जाखड़, वार्ड नं 7 लालगढ जाटान, ग्राम व पोस्ट लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री लूणाराम उपस्थित नहीं है। **मैंनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.2020 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकार, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर से सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

प्रार्थना पत्र 3027 दिनांक 05.09.2019 व प्रार्थना 28.05.2020 के संदर्भ में आज दिनांक तक की गई विभागीय कार्यवाही व इस जांच में सम्मिलित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने, इस बाबत लिये गये निर्णय व जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उच्च न्यायालय में न्याय कराने के लिए अति आवश्यक रूप से प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपया करें ताकि ग्राम वासियों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:41 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जिपगं/पंचायत/2021/100 दिनांक 19.04.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि परिवादी द्वारा ग्राम पंचायत लालगढ जाटान द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति चाही गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा परिवादी को दिनांक 19.03.2021 को चाही गई सूचना उपलब्ध करवाते हेए प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को भिजवाई गई है। अतः उक्तानुसार सूचना का अधिकार अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई सूचना की परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्ति संलगन कर सादर प्रस्तुत हैं

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, लालगढ जाटान, प.स. सादुलशहर से दिनांक 19.03.2021 को अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी ने उक्त पत्र पर हस्ताक्षर किये है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:41 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर